13/5/26

पत्रावली पेश। अपीलार्थी प्रमोद उर्फ आशीष उपस्थित। रेस्पोंडेंट नं० 1 ता० 3 व 12 ता० 13 कि विधिवत् रूप से तामील होने के बाद भी अनुपस्थित रहे। इसलिए रेस्पोंडेंट नं० 1 ता० 3 व 12 ता० 13 कि अनुपस्थिति दर्ज कि जाती है। बहस सुनी गई। अपीलार्थी का अपील प्रा० पत्र को स्वीकार किया जाता है कि स्पष्ट निर्णय हेतु लिया जाना। पत्रावली शामिल मिसल नत्थी पत्रावली होकर सुनाया गया। नत्थी है। बाद कार्यवाही पत्रावली दाखिल लेखा राजस्व में शामिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
खैरथल (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस.)

अपील संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
11/2025	29.08.2025	13.05.2026

बउनवान

1. उर्मिलाकौर पुत्री श्यामसिंह जाति लबाना सिख निवासी अगवानी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत नंगली ओझा जर्ये पंचायत समिति मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. जीतराम पुत्र थावर जाति जाट निवासी आनन्दपुर तह0 बावल जिला रेवाडी हरि0।
3. अमरजीत सिंह उर्फ अमरसिंह पुत्र श्यामसिंह जाति लबानासिख निवासी अगवानी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– असल रेस्पोडेन्ट

4. तुलसीकौर पुत्री श्यामसिंह जाति लबानासिख निवासी अगवानी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. देवेन्द्र कौर पुत्री श्यामसिंह जाति लबानासिख निवासी अगवानी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
6. इन्द्रकौर पुत्री श्यामसिंह जाति लबानासिख निवासी अगवानी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
7. जसप्रीत कौर पुत्री श्यामसिंह जाति लबानासिख निवासी अगवानी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
8. बबीताकौर पुत्री श्यामसिंह जाति लबानासिख निवासी अगवानी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
9. पूनमकौर पुत्री श्यामसिंह जाति लबानासिख निवासी अगवानी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
10. दिलावरसिंह पुत्र कश्मीर सिंह जाति लबानासिख निवासी अगवानी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
11. गुरूदीप सिंह पुत्र कश्मीरसिंह जाति लबानासिख निवासी अगवानी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
12. नरेन्द्रकौर पुत्री कश्मीरसिंह जाति लबानासिख निवासी अगवानी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
13. कुलदीप कौर पत्नी कश्मीर सिंह जाति लबानासिख निवासी अगवानी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध इन्तकाल सं० 122 वाके ग्राम अगवानी दिनांक 8/8/2025 ग्राम पंचायत नंगली औझा तह० मुण्डावर, खैरथल तिजारा के विरुद्ध पेश की जा रही है कि रेस्पोडेन्ट सं० 1 द्वारा उक्त इन्तकाल रेस्पोडेंट स0 2 के हक में

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

बेजा रूप से स्वीकार किया गया है, बमुराद मसूबी तजबीज आज्ञा उक्त व स्वीकार किये जाने अपील अपीलान्ट व अन्य दादरसी–

उजात अपील अपीलान्ट निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

1. यह है कि अपील विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत नंगली औझा तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा, राज० की पेश की जा रही है। जो वाके हदूद अदालत श्रीमान है। अतः अपील हाजा समाअत अदालत श्रीमान है।
2. यह है कि अपील हाजा पर 2/रू० कोर्ट फीस व उचित तलबाना शुल्क चस्पाकर पेश है।
3. यह है कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत का आलोच्य आदेश विधि एवं तथ्यों व बिना पूर्ण कौरम के विपरित पारित किया गया है। जिससे मिन अपीलान्ट को काफी मजकूर होना पडा है।
4. यह है कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत का आलोच्य आदेश एऐदाद पत्रावली है।
5. यह है कि उक्त इन्तकाल सं० 122 ग्राम पंचायत नंगली औझा रेस्पोडेंट स0 1 ने बिना बैयनामा की जांच किये ही रेस्पोडेन्ट सं० 2 नाम इन्तकाल दिनांक 8/8/2025 को दर्ज कर, मंजूर कर दिया, जो कानूनन गलत है। जबकी रेस्पोडेंट स0 3 ने बाला बाला तरीके से मिन अपीलांट के पिता की विरास्त तन्हा अपने नाम दर्ज कराकर, आराजी को स्थगन आदेश के बावजूद रेस्पोडेंट स0 2 के हक में बैयनागा धारा 39 का नोट लगवाकर दिनांक 14/9/2018 को करा दिया तथा रेस्पोडेंट स० 2, रेस्पोडेंट स० 1 से मिलकर, बैयनामा पर धारा 39 का नोट होने के बावजूद अपने हक में बैयनामा के आधार पर इन्तकाल स० 122 दिनांक 8/8/2025 को मंजूर करा लिया, जो इन्तकाल रेस्पोडेंट स० 1 ने बिना पंचायत के पूर्ण कौरग के खिलाफ कानून व खिलाफ मौका रेस्पोडेंट स० 2 के नाम दर्ज कर दिया, इसलिए उक्त इन्ताकाल सं० 122 काबिल निरस्त है।
6. यह है कि मुन्दर्जे इन्तकाल सं0 122 में वर्णीत आराजी हाल ख0न0 21 रकबा 0.65 हैक०, व ख0न0 27 रकबा 0.71 है40, वाके ग्राम अगवानी तह० मुण्डावर जिला खैस्थल तिजारा में वर्णीत आराजी मिन अपीलान्ट के पिता दादा आसू सिंह के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है तथा मिन अपीलांट के दादा के फौत होने पर आराजी मिन अपीलांट के पिता श्यामसिंह को प्राप्त हुयी थी तथा मिन अपीलांट के पिता के फौत होने पर आराजी मिन अपीलांट व रेस्पोडेंट स0 3 व त0 रेस्पोडेंट को विरास्त में प्राप्त हुयी थी, लेकिन रेस्पोडेंट स० 3 ने मिन अपीलांट के पिता के फौत होने पर तन्हा विरास्त अपने नाम दर्ज करा लिया, तथा तन्हा विरास्त अपने नाम दर्ज कराकर, रेस्पोडेंट स० 3 ने आराजी रेसपोडेंट स० 2 को बिना कब्जा बेचान कर दिया, तथा अब रेस्पोडेंट स० 2, रेस्पोडेंट स० 1 से मिलकर, खिलाफ मौका व खिलाफ कानून स्थगन आदेश के बावजूद वैयनामा के आधार पर इन्तकाल स० 122 तन्हा अपने नाम दर्ज करा लिया, जबकी वैयनामा पर दिगर प्रकरण में स्थगन आदेश होने बाबत धारा 39 का नोट लगा हुआ था तथा आराजी पर मिन अपीलांट का वाद बअनुवानी उर्मिलाकोर बनाम अमरजीतसिंह वगै० के नाम से न्यायालय सहायक कलैक्टर मुण्डावर के समक्ष विचाराधीन है, जिस बाद के साथ पेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 3/4/2025 को जारी किया हुये है, जो इन्तकाल दर्ज व स्वीकार करते समय प्रभाव व प्रचलन में रहा है तथा आज दिनाक तक प्रभावी है,

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

उसके बावजूद रेसपोडेंट स० 1 ने रस्पोडेंट स0 2 के हक में इन्तकाल स० 122 दिनांक 8/8/2025 को दर्ज व मंजूर किया गया है। जो इन्तकाल काबिले निरस्त है, मिन अपीलान्ट के खानदान का सजरा निम्न प्रकार पेश है।

आसूसिंह

श्यामसिंह | सेवासिंह | साजनसिंह | गुरमीतसिंह

कश्मीरसिंह पुत्र | अगरजीतसिंह पुत्र | तुलसीकोर पुत्री | देवेन्द्रकौर पुत्री | उर्मिलाकौर पुत्री | इन्द्राकोर पुत्री | जसप्रीतकोर पुत्री | बबीता कौर पुत्री

पूनम कौर पुत्री | दिलावरसिंह पुत्र | गुरमीत सिंह पुत्र | नरेन्द्रकौर पुत्री | कुलविन्द्रकौर पत्नी

7. यह है कि मिन अपीलान्ट रेस्पोडेंट स० 3 के साथ अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर आराजी पर काश्त करता आ रही है, इसलिए मिन अपीलांट को उक्त अलोच्य इन्तकाल के पारित होने का कतई ज्ञान नही था परन्तु अब दिनांक 8/8/2025 को रेस्पोडेंट स० 2 द्वारा मिन अपीलांट के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो मिन अपीलांट ने रेस्पोडेंट 02 को कब्जा करने से मना किया, जिस पर रेस्पोडेंट स० 2 ने बताया कि आराजी रेस्पोडेंट स० 3 से जरियें वैयनामा दिनांक 14/9/2018 को बिना कब्जा खरीद कर लिया था तथा अब मैने अपने नाम इन्तकाल स0 122 दिनांक 8/8/2025 को अपने नाम दर्ज व मंजूर करा लिया है, तथा अब मैं आराजी पर कब्जा कर, तुम्हे आराजी से बेदखल काश्त नहीं करने दूंगा, जिस पर मिन अपीलांट ने राजस्व रिकॉड की नकल प्राप्त की तो उक्त इन्तकाल स० 122 की जानकारी हुयी, जिसकी जानकारी होने पर मिन अपीलान्ट ने इन्तकाल सं० 122 की नकल प्राप्त कर, वकील साहब से सर्म्पक किया तथा रूपयै पैसों का इन्तजाम कर अविलम्ब ही अपील न्यायालय श्रीमान में पेश की जा रही है। जो अपील अन्दर अवधि पेश है।

8. यह है कि गिन अपीलांट को इन्तकाल स० 122 की जानकारी होने पर मिन अपीलांट ने रेस्पोडेंट स० 1 के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया तो रेस्पोडेंट स० 1 ने दिनांक 8/8/2025 को ही प्रस्ताव स० 2 लिया जाकर, रेस्पोडेंट स० 2 के हक में दर्ज इन्तकाल को निरस्त कर दिया, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज इन्तकाल स० 122 राजस्व रिकॉड में दर्ज व मंजूर होने के कारण अपील अदालत श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है।

अपीलान्ट ने अपने अपील प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि:—

अतः अपील अपीलान्ट पेशकर श्रीमान जी से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायायल ग्राम पंचायत नंगली औझा तह० मुण्डावर का आलोच्य आदेश दिनांक 8/8/2025 इन्तकाल सं0 122 ग्राम अगवानी तह० मुण्डावर को निरस्त फरमाया जावे। महति कृपा होगी।

अपीलान्ट का अपील प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर्ड कर असल रेस्पोडेन्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट की विधिवत रूप से तामिल कराई गई। विधिवत रूप से

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

तामिल होने के बाद असल रेस्पोडेन्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट उपस्थित नही होने के कारण इनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई।

अपीलान्ट ने अपने अपील प्रार्थन पत्र के समर्थन में प्रमाणित प्रति इन्तकाल संख्या 122 दिनांक 8.08.2025, प्रमाणित प्रतिलिपि विकय पत्र दिनांक 14.09.2018, स्थगन आदेश माननीय सहायक कलक्टर मुण्डावर दिनांक 03.04.2025, फोटोप्रति मिलान क्षेत्रफल, साबिक खसरा नम्बर 606/14, 20/67, 17 वाके ग्राम अगवानी तहसील मुण्डावर, फोटो प्रति प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 08.08.2025 ग्राम पंचायत नगली ओझा, फोटो प्रति ग्राम पंचायत नगली ओझा का लेटर पैड दिनांक 08.08.2025 पत्र प्रषित तहसीलदार मुण्डावर, हाल जमाबन्दी आराजी खसरा नम्बर 21 व 27 वाके ग्राम अगवानी पेश किया गया।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया गया कि :–

अपीलान्ट की ओर से विनम्र निवेदन है कि ग्राम पंचायत नंगली ओझा द्वारा पारित इन्तकाल संख्या 122 दिनांक 08.08.2025 पूर्णतः विधि विरुद्ध, तथ्य विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया है, अतः उक्त इन्तकाल निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

1. यह कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 21 रकबा 0.65 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 27 रकबा 0.71 हैक्टेयर ग्राम अगवानी की पैतृक एवं विरासती भूमि है, जो अपीलान्ट के दादा आसूसिंह से पिता श्यामसिंह तथा तत्पश्चात समस्त वारिसान को विरासत में प्राप्त हुई। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 3 अमरजीत सिंह ने अन्य सहखातेदारों के अधिकारों को छिपाकर एकल नाम से विरासत दर्ज करवा ली।
2. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा दिनांक 14.09.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र विवादित एवं संदिग्ध है, क्योंकि विक्रयकर्ता सम्पूर्ण भूमि का एकमात्र खातेदार नहीं था। अतः वह अन्य सहखातेदारों के हिस्से का विक्रय करने का अधिकार नहीं रखता था।
3. यह कि विक्रय पत्र पर धारा 39 का नोट अंकित था तथा माननीय सहायक कलक्टर मुण्डावर द्वारा दिनांक 03.04.2025 को स्थगन आदेश पारित किया जा चुका था, जो इन्तकाल दर्ज एवं स्वीकृत किये जाने की तिथि 08.08.2025 को प्रभावशील था। इसके बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा इन्तकाल स्वीकृत करना स्पष्ट रूप से कानून एवं न्यायालयीन आदेश की अवहेलना है।
4. यह कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना पूर्ण कोरम, बिना समुचित जांच तथा बिना सहखातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये इन्तकाल संख्या 122 स्वीकृत किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।
5. यह कि स्वयं ग्राम पंचायत ने बाद में प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 08.08.2025 द्वारा उक्त इन्तकाल को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया, जिससे यह स्वतः सिद्ध होता है कि प्रारम्भिक इन्तकाल आदेश त्रुटिपूर्ण एवं अवैध था।
6. यह कि अपीलान्ट आज भी अपने हिस्से की भूमि पर कब्जेकाश्त है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा जबरन कब्जा करने के प्रयास पर ही अपीलान्ट को उक्त इन्तकाल की जानकारी प्राप्त हुई। तत्पश्चात तत्काल आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है, जो अवधि के भीतर है।
7. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जैसेकृ प्रमाणित प्रति इन्तकाल संख्या 122, विक्रय पत्र दिनांक 14.09.2018, स्थगन आदेश दिनांक 03.04.2025, प्रस्ताव संख्या 02 ग्राम पंचायत, जमाबन्दी एवं क्षेत्रफल प्रतिलिपियाँ –अपीलान्ट के

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

कथनों की पूर्ण पुष्टि करते हैं। प्रतिवादीगण तामील के बावजूद उपस्थित होकर इन तथ्यों का खण्डन भी नहीं कर सके।

अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत नंगली ओझा द्वारा पारित इन्तकाल संख्या 122 दिनांक 08.08.2025 को निरस्त किये जाने की कृपा की जाये। महती कृपा होगी।

संक्षिप्त विवेचन

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, दस्तावेजात एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का मुख्य कथन यह है कि विवादित आराजी पैतृक एवं विरासती सम्पत्ति है, जिसमें अपीलान्ट सहित अन्य वारिसानों का अधिकार होना प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा एकल रूप से विरासत दर्ज करवाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया गया तथा उसी आधार पर इन्तकाल संख्या 122 दिनांक 08.08.2025 ग्राम पंचायत नंगली ओझा द्वारा स्वीकृत किया गया।

अभिलेख पर उपलब्ध प्रमाणित प्रतिलिपि स्थगन आदेश दिनांक 03.04.2025 से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि विवादित आराजी के संबंध में माननीय सहायक कलक्टर मुण्डावर द्वारा स्थगन आदेश प्रभावशील था। इसके अतिरिक्त विक्रय पत्र पर धारा 39 का नोट अंकित होना भी अभिलेख से परिलक्षित है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा बिना समुचित जांच एवं बिना समस्त सहखातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये इन्तकाल स्वीकृत किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता।

यह भी अभिलेख से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा बाद में प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 08.08.2025 के माध्यम से उक्त इन्तकाल को निरस्त करने का निर्णय लिया गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि पूर्व में पारित आदेश त्रुटिपूर्ण था। प्रतिवादीगण तामील उपरान्त भी उपस्थित होकर अपीलान्ट के कथनों का खण्डन नहीं कर सके।

अतः उपलब्ध अभिलेख एवं परिस्थितियों के आधार पर यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत नंगली ओझा द्वारा पारित इन्तकाल संख्या 122 दिनांक 08.08.2025 विधि विरुद्ध एवं दोषपूर्ण है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। फलस्वरूप अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट को स्वीकार कर ग्राम पंचायत नगली ओझा पंचायत समिति मुण्डावर व तहसीदार मुण्डावर द्वारा दर्ज व स्वीकृत इन्तकाल संख्या 122 दिनांक 08.08.2025 वाके ग्राम अगवानी तहसील मुण्डावर के प्रभाव व प्रचलन को निरस्त कर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार मुण्डावर को निर्देशित किया है कि उक्त इन्तकाल दर्ज होने की पूर्व की स्थिति को बहल की जावें। **अहकाम जारी हो।**

यह निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner